न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री कैलाश चन्द्र

निगरानी संख्या– 03/19 तारीख रज्जू– 28/03/19

1. रामचरण पुत्र नारायण उम्र 50 वर्ष जाति खटीक पेशा मजदूरी निवासी फरिया तह0 व थाना खण्डार जिला सवाई माधोपुर ––– निगरानी गुजार

बनाम

1. शिवचरण पुत्र नारायण लाल जाति खटीक निवासी बहरावण्डा खुर्द तहसील व थाना खण्डार जिला सवाई माधोपुर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत खण्डेवला पं0सं0 खण्डार जिला सवाई माधोपुर। ––––अप्रार्थी

निर्णय दिनांक–

प्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत खण्डेवला द्वारा मिसल संख्या 13/15 में पारित पट्टा संख्या 51 निर्णय दिनांक 20.12.15 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा अप्रार्थी सं01 के हक में पट्टा जारी किया हुआ है, साथ ही पट्टा संख्या 51 निर्णय दिनांक 20.12.15 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील निगरानी गुजार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का हवाल देते हुए बहस में निवेदन किया है कि संरपच ग्राम पचायत द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के हक में जो पट्टा जारी किया गया है। वह ग्राम पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार नियमों की पालना करने जारी नहीं किया गया है। अदालत मातहत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया है व न ही नियमानुसार विवादित भूमि व प्रस्तावित स्थल पर नोटिस चस्पा किया गया है। उक्त वाद–आराजीयात पर अप्रार्थी का कभी कब्जा नहीं रहा है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा जो प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया है उसमें अप्रार्थी का किसी प्रकार का कब्जा नहीं दर्शाया गया है। अप्रार्थी सं0 2 ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी सं0 1 को लाभ पहुॅचाने एवं राजनैतिक रंजिशवश उक्त वाद अराजीयात का पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है। जबकि उक्त प्लाट की बौली लगा करके आंवटन किया जाना चाहिए था। ग्राम पंचायत द्वारा बिना मौका देखे ही फर्जी तरीके से पट्टा जारी कर दिया गया। जबकि मौका रिपोर्ट में भी निगरानीगुजार का कब्जा काश्त है, साथ ही वकील निगरानीगुजार ने ग्राम पंचायत खण्डेवला द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के हक में जारी पट्टा संख्या 51 निर्णय दिनांक 20.12.15 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त वाद आरजीयात क्रयशुदा भूमि है। जिसकी स्टाम्प पर भी लिखा पढ़ी दर्ज है तथा दिनांक 10.09.15 को ग्राम पंचायत सदस्य द्वारा मौका देखा गया है तथा मौका रिपोर्ट में भी पट्टा जारी करने की सहमति दर्शायी गई है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अदालत मातहत द्वारा एक माह का सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा संरपच ग्राम पंचायत ने सम्पूर्ण कोरम में ग्राम पंचायत सदस्यों की सहमति से पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है,साथ ही वकील अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत खण्डेवला द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के हक में जारी पट्टा संख्या 51 निर्णय दिनांक 20.12.15 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि दिनांक 01.08.15 को अप्रार्थी सं0 1 द्वारा ग्राम पंचायत खण्डेवला में एक प्रार्थना पत्र वाद आराजीयात का पट्टा बनाने के आश्य से पेश किया था। जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सदस्य द्वारा मौका रिपोर्ट चाही गई। उक्त मौका रिपोर्ट में ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा पट्टा जारी करने हेतु अपनी सहमति दर्शायाी है तथा दिनांक 05.10.15 को ग्राम पंचायत द्वारा एक माह का भूमि के प्रस्तावित विकय के सम्बन्ध में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस भी जारी किया गया है। जिसमें समयावधि में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तत्पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों की सहमति से उक्त पट्टा जारी किया गया है तथा न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रकरण में तहसीलदार खण्डार से मौका रिपोर्ट चाही गई थी। उक्त कम में तहसीलदार खण्डार ने अपने पत्र दिनांक 03.10.19 द्वारा अवगत कराया कि पटवारी हल्का फरिया की जांच रिर्पोट के अनुसार पट्टा संख्या 51 दिनांक 20.12.15 पट्टे की जगह रामचरण पुत्र नारायण जाति खटीक निवासी फरिया कच्चा मकान बनाकर रहता है जो लगभग 10 वर्ष से अधिक से रहता है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त वाद आराजीयात पर अप्रार्थी सं0 1 का कब्जा न होकर निगरानीगुजार का कब्जा है ,साथ ही आपत्ति नोटिस में भी यह कहीं अंकन नही किया हुआ है कि उक्त आपत्ति नोटिस किस स्थान पर चस्पा किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा पारित किया गया निर्णय विधिनुसार नहीं पाया जाता है तथा पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त पट्टे से निगरानीगुजार को आपत्ति है।

अतः मेरे अभिमत में निगरानी गुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत खण्डेवला द्वारा अप्रार्थी सं0 1 के हक में जारी पट्टा संख्या 51 निर्णय दिनांक 20.12.15 निरस्त किया जाता है तथा साथ ही अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षों को सुनकर विधिनुसार पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र)
अति0जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chander
Date: 2020.02.06 13:26:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: